ORIGINAL RESEARCH PAPER

Law

KEY WORDS: अपराध, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, व्यपहरण दुष्प्रेरण, दहेज, यौन उत्पीड़न कार्यस्थल, अनैतिक व्यापार, अशिष्ट चित्रण, घरेलू हिंसा, निवारण, संरक्षण, दुर्व्यवहार, व्यवहार प्रतिमान।

एक देश एक चुनाव और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

श्यामसिंह राजपुरोहित विधि व्याख्याता सेंटमीरा विधिमहाविद्यालय, नाथद्वारा राजसमंद

ABSTRACT

देश में राज्यों की विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनाव सन् 1951 से सन् 1967 तक एक साथ हुये उसके बाद यह क्रम टूट गया और इन चुनावों में फासला बढ़ता गया पिछले कुछ वर्षो से देश में एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट का मुद्दा गर्माया हुआ है और इसके लिये सिफारिश विधि आयोग तथा संसदीय समिति द्वारा भी की जा चुकी है कि एक बार फिर देश में सभी चुनाव एक साथ सम्पन्न कराया जाये। जिससे देश को बार–बार चुनावी प्रक्रिया की झंझट से एंव आर्थिक बोझ से निजात मिल सके।

प्रस्तावना

भारत में स्वतंत्रता के बाद से लेकर आजतक चुनाव सुधार को लेकर कई कदम उठाये गये एवं समय–समय पर इसके लेकर कई मुद्दों पर बहस छिडती रही है। इनमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक मुद्दा है एक देश एक चुनाव और इसकी प्रासंगिकता। बात एक देश एक चुनाव के विकल्प की एक देश एक चुनाव को लेकर देश में अब चर्चाएँ तेज है। कुछ राजनीतिक इसके पक्ष में है तो कुछ दल इसके खिलाफ और कुछ दलों ने अभी इस पर अपनी राय जाहिर नही की हैं

दरअसल भारत में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिये या नही इस सवाल को लेकर फिर से हवा मिली प्रधानमंत्री के हालिया बयान के बाद प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की। इसके बाद संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया जिसके बाद कई राजनैतिक दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्ति की। देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। एक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है तो देश के और किसी हिस्से में चुनावी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इसी तरह देश में इस विषय पर पिछले कुछ दिनों से मंथन चल रहा है। विचार अच्छा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाये साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जनहित में इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा ले।

एक देश एक चुनाव :– ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आजादी के बाद सन् 1951 से लेकर सन् 1967 तक देश में 4 चुनावों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुये। लेकिन उसके बाद देश के कई राज्यों में गैर काँग्रेसी सरकारे बनी और अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही गिरने लगी और उसके बाद से देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग–अलग होने लगे। फिर इनके बीच फासला बढ़ता गया। इस तरह एक देश एक चुनाव कोई नया कॉन्सेप्ट नही है।

देश में अलग – अलग चुनाव की वजहे :–

- संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन।
- समय से पहले विधानसभाएँ भंग होना।
- सदन भंग होने पर चुनाव का 6 माह के भीतर पुनः कराया जाना।
- विधानसभाओं का कार्यकाल अलग–अलग समय पर पूरा होता है।
- कभी–कभी सरकारें सदन में विश्वास खो देती है।

यही से अलग – अलग राज्यों में चुनाव आगे–पीछे होने का सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है।

एक देश एक चुनाव की सार्थकता और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी व्यावहारिकता

देश में तमाम विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो, इस बात से किसी को एतराज नही हो सकता हर 5 वर्ष पर होने वाले लोकसभा चुनाव के अलावा तमाम विधानसभाओं के लिए होने वाले मतदान और उपचुनाव भी जोड़ लिये जाये तो औसतन हर महिने देश के किसी न किसी हिस्से में मतदान की प्रक्रिया चलती ही रहती है। इन चुनावों को सम्पन्न कराने के लिए संसाधन, समय और धन बड़ी मात्रा में खर्च होते है। एक साथ चुनाव की प्रक्रिया में अगर एक बार चुनाव की तैयारी कर दी जाती है जिसमें एक मतदान केन्द्र, एक ही सुरक्षा व्यवस्था, एक ही मतदाता, तो मतदाता मतदान करते समय इवीएम मशीन पर एक बार बटन दबाने की बजाये तीन बार बटन दबाये यह मतदाता के लिये भी सुविधाजनक रहता है देश में चुनावों की निरन्तरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड़ में रहता है इससे न केवल प्रशासनिक और नितिगत निर्णय प्रभावित होते है बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है इससे बचने के लिए एक देश – एक चुनाव का कॉन्सेप्ट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त सार्थक और व्यावहारिक प्रतीत होता है।

एक देश एक चुनाव के सम्बन्ध में नीति आयोग का मसौदा

- राष्ट्रहित का सवाल देखते हुये सन् 2024 से एक साथ चुनाव का समर्थन।
- एक साथ चुनाव दो चरणों मे कराने का सुझाव।
- प्रथम चरण सन् 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ।
- दूसरा चरण सन् 2021 में लोकसभा के अवधि के मध्य।
- कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि को घटाकर तथा कुछ की अवधि को बढ़ाकर समायोजन द्वारा देश मे एक साथ चुनाव का कॉन्सेप्ट लागू किया जा सकता है।

एक देश एक चुनाव के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिश

सन् 1999 में प्रथम बार विधि आयोग में देश में तमाम विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों को एक साथ कराने के सम्बन्ध में अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए सिफारिश की है।

कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति की सिफारिश

सन् 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने देश में विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की और एक बीच का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया है। जिसके अनुसार

ऐसी विधानसभा जिनमें चुनाव, लोकसभा चुनाव के 6 माह के भीतर–भीतर कराया जाने है उन विधानसभाओं में भी चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ करा दिये जाये।

एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क

- निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार द्वारा नई स्कीमों घोषणाओं पर रोक लग जाती है जिससे विकास कार्यो में ब्रेक लग जाते है।
- बार–बार चुनावों में हाने वाले भारी खर्च में कमी आएगी गौरतलब है कि सरकारी खजाने एवं देश की आर्थिक सेहत में सुधार होगा।
- कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी चुनावों में राजनैतिक दलों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल होता है। ऐसी समस्याओं पर लगाम लगेगी।
- लगातार चुनावों के कारण देश में बार–बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है इसकी वजह से सरकारें आवश्यक नीतिगत निर्णय नही ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्याएँ आती है जिसका असर योजनाओं को जमीनी तौर पर लागू करने में होता है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव से सरकारी राजस्व और समय की बचत तो होगी है साथ ही बार–बार चुनावों चलते होने वाली राजनैतिक रैलियों से आम जन–जीवन प्रभावित होता है
- एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रहित को प्रधानता मिलेगी और इससे क्षेत्रीय अलगाववाद कम होगा और शासन व्यवस्था में रूकावटे कम होगी।

एक साथ चुनाव के विरोध में तर्क

- यह विचार देश संघीय ढाँचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिये घातक कदम होगा लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने पर राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
- अगर लोकसभा विधानसभाओं का चुनाव एक करवाये गये तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय एवं स्थानीय मुद्दे गौण हो जायेगें या इसके बिलकुल विपरित क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो देगें। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है वही विधानसभाओं के चुनावों में क्षत्रीय महत्व के मुद्दे देखे जाते है।
- भारत विश्व का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा दूसरा देश है लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के आभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना तार्किक प्रतीत नही होता।
- लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह रहना पड़ता है। कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद मनमानी नही कर सकते क्योंकि उन्हें छोटे–छोटे अन्तरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाये तो उनकी निरंकुशता बढ़ जायेगी।
- देश के पहले 4 चुनावों में विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ हुये। लेकिन लोकसभा अपने समय से पूर्व कभी भी भंग हो सकती है। जैसे वाजपेयी सरकारी 13 दिन में गिर गई अगर फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तो देश की 29 विधानसभाएँ जो बहुमत से गठित हुई उनकी क्या स्थिति होगी।
- मतदाता एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान कर रहा है तो इसकी प्रबल संभावना है कि केन्द्र में जिस पार्टी के लिये मतदान कर रहा है राज्य में भी उसी पार्टी के लिए मतदान करेंगा।
- भारत की संघीय प्रणाली का ताना–बाना कमजोर हो सकता है क्योंकि 5 साल के निश्चित कार्यकाल में मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं खत्म हो जायेगी।
- क्या चुनावी खर्च बचाने की बात हमारे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर है एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट को कैसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है जब

देश की आम जनता को पूरे 5 साल तक चुनी हुई सरकार को सहने के लिए विवश होना पड़ेगा।

एक देश एक चुनाव की दिशा में कानूनी अड़चने

देश में मौजूदा हालातों में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का कॉन्सेप्ट लागू करना है तो संविधान के 5 अनुच्छेदों 83,85,172,174 एवं 356 में व्यापक रूप से संशोधन करने होंगे इनके अलावा असली मसला एवं दावपेंच राजनैतिक है क्या राजनैतिक पार्टियां संविधान में इतने व्यापक संशोधन के लिए तैयार होगी।

एक बड़ी अड़चन यह भी है कि, सरकार का संसदीय स्वरूप संविधान के आधारभूत एव मूल ढाँचे के अन्तर्गत आता है और उच्चत्तम न्यायालय ने सन् 1973 में केशवानंद भारती के केस में कहा कि संसद संविधान के आधारभूत एवं मूल ढाँचे में संशोधन नही कर सकती।

निष्कर्ष

देश में एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट वर्तमान हालातों में लागू करने के लिये राष्ट्रहित में बड़े कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है तथा इसकी राह में आ रही अड़चने दूर करने में हालांकि कुछ समय लग सकता है तो यह बिलकुल असंभव भी नही है इसके कुछ फायदे है तो कुछ नुकसान भी होंगे हमें यह देखना है कि नुकसान और फायदे का संतुलन क्या है। अगर देश में एकसाथ चुनाव की व्यवस्था लागू हो जाती है तो यह देश के लिए बेहतर होगी।

सुझाव

देश में मौजूदा चुनाव प्रणाली में एक साथ चुनाव का कॉन्सेप्ट लागू करने के लिए सरकार को प्रबल इच्छा सकती से राष्ट्रहित में निर्णय लेना होगा। जिससे प्रतिवर्ष देश को विभिन्न चुनावी माहौल से एवं आर्थिक बोझ से निजात मिल सकती है इसके लिए :–

- एक साथ चुनाव के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिये।
- सरकार को बहस के लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलानी चाहिये।
- एक साथ चुनाव के विषय पर जनता का रूझान भी जानना आवश्यक।
- इस मुद्दे पर राजनैनिक आमरामय बनाने के जिम्मेदारी सरकारी की है साथ ही विपक्ष को यह समझना चाहिये कि यह मामला जनहित से जुड़ा है तो इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा कर लेनी चाहिये।
- संविधान संशोधन द्वारा इस संबंधन में विशेष उपबंध करने होंगे।
- केन्द्र सरकार ने जिस तरह नोटबंदी, जीएसटी जैसे कड़े निर्णय लिये उसी प्रकार एक साथ चुनाव लागू करने के निर्णय में भी हिचकिचाना नही चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 भारतीय संविधान रू. जे.एन.पाण्डेय
2 एक देश एक चुनाव : दृष्टि द विजन
3 राष्ट्रीय मुद्दे एक देश एक चुनाव : ध्येय आई.ए.एस. कार्यक्रम 6 सितम्बर 2018
4. RStv कार्यक्रम चुनाव सुधार 16 मार्च 2019
5. RStv कार्यक्रम सुधार चाहिये 21 सितम्बर 2017
6. RStv कार्यक्रम सरोकार 01 जनवरी 2018
7ण अल्पमत सरकारी की स्थिति में वैकल्पिक उपाय – शोध पत्र राजेन्द्र कुमार मीणा
8. I.J.C.R.T. Volume 6 एक फरवरी 2018
9ण एक देश एक चुनाव : गरीमा I.A.S. कार्यक्रम 11 जुलाई 2018